


11/22 जार्जीया विद्या क्वॉर एवं भवानी सिंह ने जारपी वकील ज्ञापन
 हुनवाई का पेशा करने पर पत्रावली (राज तलक की जारपी) शीघ्र
 हुनवाई का ज्ञापन स्वीकार किया जाता है। विद्या क्वॉर एवं भवानी
 सिंह ने ज्ञापन क्र. धारा 15।CPC को पेशा किया। जार्जीया विद्या
 क्वॉर ने ज्ञापन क्र. धारा 10 व धारा 15।CPC को पेशा किया।
 जार्जीया सिंह एवं विद्या क्वॉर की कोर्ट के श्री रविन्द्र सिंह शोखावर
 एडवोकेट (उपस्थित) पत्रावली वास्तु में ज्ञापन क्र. धारा 15।CPC
 व ज्ञापन ज्ञापन क्र. धारा 10 व धारा 15।CPC हेतु दिनांक
 18.1.22 को पेशा है।

18/1/22
 श्री. रविन्द्र सिंह
 Advocate

18/1/22 :- पत्रावली जारपी वकील ज्ञापन क्र. धारा 15।CPC जार्जीया एवं जार्जीया सिंह ने











पत्रावली



कोर्ट में, पर एसासं इस बाबत सिद्ध है ज्ञापन क्र. धारा 15।CPC को
 स्वीकारा है उक्त है कि कोर्ट ज्ञापन को आगे नहीं भेजना चाहे।
 तथा इसी तरह पर कोर्ट को ज्ञापन स्वीकारा चाहे कि ज्ञापन
 जार्जीया एवं भवानी विद्या क्वॉर को कोर्ट में ज्ञापन किया जाय
 पत्रावली के तहत मुकदमा दायर नकर कि यह है कि कोर्ट को स्वीकार
 है।

रविन्द्र सिंह
 18/1/22



पत्रावली
 ज्ञापन क्र. धारा 15।CPC